Criticism against gold import policy

4565. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to experts 15 per cent customs duty on gold import by returning Indians from abroad requires a downward review;

(b) whether it is also a fact that much lower rate of duty in some of our neighbouring countries encourage gold smuggling to India from their territories; and

(c) what are the reasons for wide disparity between international and national price of gold?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Suggestions have been received from some members of the public for reduction of the customs duty on gold imported by Indians returning from abroad. Smuggling of gold is on account of a wide difference in the domestic and international prices, resulting from a high domestic demand in the country which cannot be met by the negligible indigenous production.

''माडवेट'' के अधीन उत्पाद शुल्क की वापसी

4566. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:**
श्री महेन्द्रसिंह लाठर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों के लिए ''माडवेट'' प्रणाली के अधीन कच्चे माल और अन्य उपसाधनों पर उत्पाद कर को वापस किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों के बारे में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र का वार्षिक उत्पादन कितना है, उनमें रोजगार की क्षमता कितनी है, तथा उनमें संयंत्र और उपकरणों की लागत कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) माडवेट योजना के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट तैयार शुल्क्य माल के निर्माण में अथवा उसके संबंध में प्रयुक्त किये जाने वाले माल पर अदा किए गये उत्पाद शुल्क की वापसी उन कुछेक परिस्थितियों को छोड़कर अनुज्ञेय नहीं है जब तैयार शुल्क्य माल का बान्ड के तहत निर्यात किया गया हो। यह सुविधा सभी निर्माताओं के लिए उपलब्ध है।

(ग) और (घ) पहली मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत, वे यूनिट, जिनके उत्पाद शुल्क्य माल की निकासियों का कुल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं था, इस छूट को प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे यूनिट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के एक अध्याय के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में एक वर्ष में 20 लाख रुपये की निकासी के मूल्य तक तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के एक से अधिक अध्यायों के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में एक वर्ष में 30 लाख रुपयों की निकासी के मूल्य तक उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात की जाने वाली 75 लाख रुपये के मूल्य तक की निकासियों पर शुल्क की रियायती दर प्रभार्य है जो कि मूल्यानुसार 5% के न्यूनतम शुल्क के अध्यधीन अन्यथा देय शुल्क की तुलना में 10% कम है।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान, लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन का अनुमानित मूल्य लगभग 1,55,340 करोड़ रुपये था और इसके अंतर्गत 124.30 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इस समय, लघु उद्योग यूनिट के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले यूनिट के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रुपये है और अनुषंगी यूनिटों के लिए 70 लाख रुपये है।

Income Tax Raid on Bombay Stock Exchange Operator

4567. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Income tax Department, Bombay has since been able to unravel the mystery of the millions which had led them to raid the biggest operator on the Bombay Stock Exchange market as reported in the Indian Express (Business Express Section), New Delhi dated the 10th March, 1992; and

(b) if so, what are the details of his companies and earnings and how far his personal income outstripped the earnings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The Income-tax Department recently